253

संख्याः-1190/XIV-1/12-5(8)/2012

प्रेषक,

डॉ0 पी0एस0गुसाईं,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादून, दिनॉक 25 जुलाई, 2012

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः-1729/नियो0/जिला योजना/2012-13 दिनांक 27 जून, 2012 तथा वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः-321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 तथा लेखानुदानावधि हेतु स्वीकृति सम्बन्धी आदेश संख्या- 853/XIV-1/2012 दिनांक 07 मई, 2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (सामान्य) हेतु **कुल ₹2,79,20,000/-(रूपये दो करोड़ उनयासी लाख बीस हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(2) सभी कार्यकमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।

2– उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 – 321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और यह शासनादेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिहित किए गए अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–107–केडिट सहकारी समितियों को सहायता, 108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–800–अन्य व्यय (लघुशीर्षक 07,08, 21) के अन्तर्गत संलग्नक की ग,घ,ड़,च एवं छ की पंक्तियों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0पी0एस0गुसाईं)
सचिव।

संख्याः–1190(1)/XIV–1/2012,तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव

शासनादेश संख्या-1190/XIV-1/12-5(08)/12 दिनांक 25 जुलाई, 2012 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना (सामान्य) हेतु उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को लेखाशीर्षकवार धनराशियों के आवंटन का विवरणः-

(धनराशि हजार रू0 में)

		योजना का नाम					
कम संख्या	जनपद का नाम	2425-सहकारिता-आयोजनागत 107-केडिट सह0 समितियों को सहायता 91-सहकारी ऋण योजना, 9101-पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	2425-सहकारिता-आयोजनागत 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 03-सह0 विभाग की सह0 उपसमितियों को सहायता, 20- सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	2425-सहकारिता-आयोजनागत 800-अन्य व्यय, 07-प्रा0सह0ऋण समि0 को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2425-सहकारिता-आयोजनागत 800-अन्य व्यय, 08-प्रा0 कृषि सहकारी ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबंधकीय एवं साज-सज्जा अनुदान, 20- सहायक अनुदान/ अंशदान /राज सहायता	2425-सहकारिता-आयोजनागत 800-अन्य व्यय, 21-सहकारी कय-विकय योजनान्तर्गत सह0 समितियों को वित्तीय सहायता, 20- सहायक अनुदान/ अंशदान /राज सहायता	योग
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज
1.	नैनीताल	709	40	14	74	1176	**2013**
2.	ऊ0सि0 नगर	0	27	0	0	395	**422**
3.	अल्मोड़ा	2318	66	119	100	1053	**3656**
4.	बागेश्वर	980	0	0	0	0	**980**
5.	पिथौरागढ़	2892	33	0	22	1923	**4870**
6.	चम्पावत	503	7	0	58	16	**584**
7.	देहरादून	562	63	0	0	312	**937**
8.	हरिद्वार	0	0	0	0	785	**785**
9.	पौड़ी	3768	0	0	74	0	**3842**
10.	टिहरी	1495	0	0	122	277	**1894**
11.	चमोली	1989	0	0	0	0	**1989**
12.	रूद्रप्रयाग	1197	164	0	89	0	**1450**
13.	उत्तरकाशी	3587	53	0	128	730	**4498**
14.	योग	**20000**	**453**	**133**	**667**	**6667**	**27920**

(डॉ0पी0एस0गुसाई)
सचिव